



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9137936

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-02
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	14	पृष्ठ संख्या वर्तमान	18	थाना न.	9
		वर्तमान(VOL)					

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है			कारोबार विस्तृत सूचना		
						खाता न.	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	खाता न.	प्लॉट न.	क्षेत्रफल
37936	2546 /R27 2024 - 2025	आमाघाटा/ 9	झरिया	20/09/2024	By Sale 2024/DHAN/5568/BK1/4991 Dated 17/08/2024	7	2	206	7	157	3.32 डिसमील

क्रेता का नाम : (DHIRAJ KUMAR SINGHपिता-RAJ BIHARI SINGH, जाति-..., पत्ता-DL-171, NEAR DOMGARH RIVER, DOMGARH, SINDRI, P.S SINDRI, DIST DHANBAD)	जमाबंदी रैयत का नाम : ANIMESH KUMAR SHIBAM-पिता-DR ANIL KUMAR SINGH	विक्रेता का नाम : ANIMESH KUMAR SHIVAM, पिता-D SINGH, जाति-..., पत्ता-SHANTI COLC GURU KRIPA, SARAIHELIA, P.S S DIST DHANBAD
---	---	--

राजस्व कर्मचारी हलका-02 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित |
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by



SHASHI KANT SINKER

अंचलाधिकारी धनबाद

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

Duplicate Copy

24-Sep-2024

आदेश

तिथि

Sep 20 2024

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा आमाघाटा थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
7	157	0 एकड़, 3.32 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ANIMESH KUMAR SHIVAM	पिता	DR ANIL KUMAR SINGH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2024/DHAN/5568/BK1/4991 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ANIMESH KUMAR SHIBAM	पिता	DR ANIL KUMAR SINGH

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **5 रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
SHASHI KANT SINKER

अंचलाधिकारी धनबाद